

19.2.21 ~~वकूलापत जरीकेन उप-1~~
~~अतिवारी गण के वकील तनकी~~
~~लेखला 03 पर सीधी करत करत~~
~~न्याये के, पत्रावली आई-478 कर~~
~~छेद डि नॉक 22-02-2021 को~~
~~पेशा हो~~

बि. 13
 2/2
 Pralimsy Jank

Dans

22.02.2021 ~~वकूलापत जरीकेन उप-1~~
~~अतिवारी सं. 2 के विद्वान इच्छिलका~~
~~ने करत के दोरत निकेन~~
~~किया कि तनकी संख्या 03 प्रविधी~~
~~के निम्ने है जो कर उकार है।~~
~~आप, अतिवारी के हक में इए आवंटन~~
~~को न्यायालय में चुनोरी नहीं की~~
~~सकती बाद पर हेतु अधिकार के~~
~~के भाव में कारिग किये जाने योग्य~~
~~है ? निम्ने अतिवारी सं. 2~~



Dans
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा



प्रतिवादी के पक्ष में कादग्रह
भूमि आवंटन का राजस्व रेकॉर्ड
से समलक्षणा किया जा चुका
है, चूंकि प्रतिवादी के 2 वक्फिया
समलक्ष रेकॉर्ड में गैर काब्रदार
दर्ज है, प्रतिवादी के 2 के
आवंटन की गई भूमि को
स्वामि बनाने का अधिकार इस
न्यायालय के नहीं है। इसलिए
पक्षी के पक्ष को खीले
पर अस्वीकार का आदेश देने
का निवेदन किया।

पक्षी के वक्फिया रेकॉर्ड
में निवेदन किया कि कादग्रह
आसानी वादी पुराने के कब्जे
कार्ड नंबर 40.08 बीला के
अनुसार दावा प्रस्तुत किया गया



[Signature]
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख
हुसम

हु, वाही के पर के 40-08 बीमा
 के बजाय 34-03 बीमा भी बूझि
 निरामन कर गई, जो जलरी
 से 6.05 बीमा बूझि कम
 है है, ऐसी स्थिति में वाही
 कार्रवाई कोषित कराते का
 अधिकारी है। इतिर तनकी के
 3 के अधिकारी सं. 2 के विरुद्ध
 निर्णय की जाये।

2.

हुसम प्रणाली का अपलोड
 किया गया का अपलोड
 पर प्राप्त गया कि वादगुप्त
 आराजी अधिकारी सं. 01 के एड
 में बूझि आवंटन एवं निरामन
 समाप्त कर लकिकि के एड
 बूझि आवंटन / निरामन करने
 के पालकलय अधिकारी सं. 2



Deputy
 सहायक कमिश्नर
 (S.D.O.) वालोटरा

के नाम राजक रेड में
~~बहुतेरा जोर कारोबार के~~
 रूप में दर्ज की जा चुकी
 है, जिसे कारीज करने का
~~इशतिकाद इस नामासुच~~
 की नहीं है, बल्कि माननीय
 न्यायालय जिला कलक्टर,
 बामेर की है, ऐसी स्थिति
 में ननकी सं. 03 के अन्वये
 जिला 02 के पक्ष में अर्जना
 साबित है, इतलिय ननकी
 संख्या 03 के उपरोक्त विकेपस
 के आधारे पर अन्वये सं. 02
 के पक्ष में निर्णय की जाये
 तथा वही के विरुद्ध निर्णय
 हो जाने के फलस्वरूप वही
 के वाद को इशतिकाद के विरुद्ध



[Signature]
 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) वालोतरा

कलेक्टर
जयपुर

~~पर यह न्यायालय सुनने के लिए
सहम नहीं है। अतः वारी के
बाद को वही स्टेज पर महीना
कर कागज ठिकी जाया है। ठिकी
पचा जाती है।~~



(Signature)
(नरेश सोनी)

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

~~मेरी काज ठिकी 22-02-2021 को
कुले न्यायालय में सुनाया गया।
पचावली ठिकी सुकाल ठिकी ठिकी
है कठ है।~~

(Signature)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा